संख्या- 83 /2720/41-2014-31 यो/14

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर, 2014

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद मथुरा-वृन्दावन (मेगा डेस्टीनेशन के अंतर्गत) के पर्यटन विकास की योजना की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-510/6-1-1(में डेस्टी0)/मथुरा/यो0/14 दिनांक 09-07-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद मथुरा-वृन्दावन (मेगा डेस्टीनेशन के अंतर्गत) के पर्यटन विकास की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा गठित पृथक-पृथक आगणन के परीक्षणोपरान्त बृज क्षेत्र मथुरा में साइनेज कार्य हेतु आंकलित लागत रू0-397.68 लाख, मथुरा के नन्दगॉव क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु आंकलित लागत रू0 318.64 लाख तथा मुथरा के बलदेव क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु आंकलित लागत रू0 199.87 लाख की पृथक-पृथक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी प्रथम किश्त की धनराशि रू0-158.01 लाख के सापेक्ष्य अवमुक्त धनराशि रू0 1.00 लाख(रू0 एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतें हैं:-

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र संख्या-5 पीएनसी(51)/2013,दिनॉक-04.03.2014 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की हैं। उक्त स्वीकृति पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. भारत सरकार के स्वीकृत पत्र संख्या-5 पीएनसी(51)/2013,दिनॉक-04.03.2014 द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से नन्दगॉव क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट हेतु रू0 29.48 लाख एवं बलदेव क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट हेतु रू029.48 लाख की स्वीकृति पृथक से निर्गत की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय सुंसगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेग।
5. कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/ राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय -भार न पडे।
8. योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/ रख-रखाव हेतु उचित व्यवस्था निर्धारित की जाय।
9. योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80 सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेंट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक-22 जुलाई,2014 तथा वित्त(आय-व्ययक)अनुाभाग-2 के शासनादेश सं्ख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77,दिनॉक-26अगस्त,2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- 83/2720(1)/41-2014 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मथुरा।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-7
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मथुरा।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10- श्री राजाराम,वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in